HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1116/2026
CNR: RJHC010588002026
URN: CRLAS / 2553U / 2026

Tejaram S/o Hadmanram, Aged About 37 Years, Resident Of Village Ratau, Police Station Nemi Jodha, District Deedwana-Kuchaman. (Presently Lodged In Sub Jail Deedwana)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Pp
2. Kishore S/o Amraram, Aged About 34 Years, Resident Of Khamiyad, Police Station Nemi Jodha, Tehsil Ladnu District Deedwana-Kuchaman (Rajasthan.)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Suresh Kumbhat Mr. Sheetal Kumbhat Mr. Naman Bhansali Mr. Meetaksh Dadhich Mr. Abhishek Mehta
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

16/07/2026

01. प्रत्यर्थी संख्या 2 की तामील हो चुकी है परंतु प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

02. प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से यह दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 14ए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पुलिस थाना लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 143, 302, 364, 449, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(r)(s)(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मामले में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

03. बहस अपील सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

04. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कॉल डिटेल प्रार्थी–अपीलार्थी तेजाराम के मोबाइल की धमकी के संबंध में पेश नहीं की है। प्रार्थी–अपीलार्थी पर झूठा आरोप लगाया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी इस मामले में नहीं है। इस मामले में सहअभियुक्तगण पुनाराम व दुदाराम की जमानत दिनांक 14.01.2025 को व श्रीमती संतोष की जमानत दिनांक 10.09.2024

को इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है एवं सहअभियुक्त दलिपनाथ की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 10.06.2026 को ली जा चुकी है। प्रार्थी–अपीलार्थी का मामला सहअभियुक्तगण से अधिक गंभीर नहीं है। अतः इस आधार पर दाण्डिक अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

05. योग्य लोक अभियोजक ने उक्त दाण्डिक अपील का सख्त विरोध करते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन की रिपोर्ट दिनांकित 12.07.2026 पेश कर बताया कि प्रार्थी–अपीलार्थी तेजाराम की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए मोबाइल कम्पनी से पत्र व्यवहार नहीं किया गया, ना ही अभियुक्त तेजाराम के मोबाइल को जब्त कर एफ.एस.एल. करवाई गई है। गंभीर प्रकृति का मामला होना बताते हुए उक्त दाण्डिक अपील को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में सहअभियुक्तगण पुनाराम व दुदाराम की जमानत दिनांक 14.01.2025 को व श्रीमती संतोष की जमानत दिनांक 10.09.2024 को इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है एवं सहअभियुक्त दलिपनाथ की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 10.06.2026 को ली जा चुकी है। प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा फोन से विदेश में बैठे हुए धमकी देने का आरोप लगाया गया है। परंतु पुलिस द्वारा प्रार्थी–अपीलार्थी के मोबाइल के संबंध में मोबइल कम्पनी से कोई पत्र व्यवहार कॉल डिटेल बाबत नहीं किया जाना और तेजाराम के मोबाइल को जब्त कर एफ.एस.एल. में नहीं भेजा जाना, स्पष्ट रूप से थानाधिकारी की रिपोर्ट में आया है।

07. ऐसी अवस्था में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में हो जाने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति, तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय की राय में प्रार्थी–अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

08. परिणामस्वरूप, प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), डीडवाना, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11.05.2026 को अपास्त किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अपीलार्थी **तेजाराम पुत्र हड़मानराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की

दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

59/Mayank Rankawat/629